>

Title: Need to accord legal status to the wedding s performed under Buddhist system of marriage in the Country.

श्री शिशुपाल पटले (भन्डारा) : महोदय, मैं आपके द्वारा भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में लाखों-करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर खुद कानून मंत्री रहे। उनका बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में स्वीकार करने के बाद उनके बौद्ध बंधु जो बौद्धिक पद्धति से शादियां करते हैं, उन शादियों को अभी तक लोक सभा ने कानूनी मान्यता नहीं दी है। सारे हिंदुस्तान में बौद्ध बंधु बौद्धिक पद्धति से ही शादियां करते हैं। तीन मामलों में मुम्बई हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया शकुंतला विरुद्ध नीलकंठ, बेबी जगताप विरुद्ध जयंत महादेव जगताप और रेखा विरुद्ध अशोक, इन तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें बौद्ध पद्धति से की गई शादियों को गैर कानूनी माना और इस तरह की शादियां करने वाली पत्नियों को रखैल मानकर उनके द्वारा पैदा हुई संतानों को उन्होंने अनौरस माना है। इस कारण बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा धक्का लगा। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का यह बहुत बड़ा अपमान है, कि हमारे हिंदुस्तान में संविधान के शिल्पकार होने के बाद भी, उनके धर्म के बौद्ध विवाह को अभी तक लोक सभा ने मान्यता प्रदान नहीं की है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक विधेयक लोक सभा में ला कर इस बौद्ध विवाह पद्धति को मान्यता प्रदान की जाए।